

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 193/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

दीपक मुन्डा

- विक्रेता

शिशिर टुटी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
13.08.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक दीपक मुन्डा पिता स्व० छोटी मुन्डा ग्राम-दुलुवा, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने शिशिर टुटी पति नियारन टुटी ग्राम-सुरुन्दा, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">दुलुवा</td> <td rowspan="3">259</td> <td rowspan="3">10</td> <td>250</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>251</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0235359266 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 866 दिनांक 26.11.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम चामा मुन्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार चामा मुन्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 23.85 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 23.85 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 2158.00(दो हजार एक सौ अनठावन)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 23.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दीपक मुन्डा पिता स्व० छोटी मुन्डा को शिशिर टुटी पति नियारन टुटी के साथ ग्राम दुलुवा के खाता सं० 10 खेसरा संख्या 250, 251 का कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2158.00(दो हजार एक सौ अनठावन)प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	दुलुवा	259	10	250	0.20	251	0.10		0.30	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)												
दुलुवा	259	10	250	0.20												
			251	0.10												
				0.30												
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">13/08/19</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	<p style="text-align: center;">13/08/19</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>														